झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
द्वितीय (बजट) सत्र
वर्ग–01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 03 चैत्र 1942 (श0) को 23 मार्च, 2020 (ई0)

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
552	ग–27	श्री सुदेश कुमार महतो,	मुआवजा दिलाना	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	02.03.2020
553	क–21	श्री विकास कुमार मुण्डा,	अनुमंडल भवन बनवाना।	कार्मिक, प्रशा0 सुधार, तथा राजभाषा	07.03.2020
554	ग–09	श्री विनोद कुमार सिंह,	पीड़ित परिवार को मुआवजा देना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	20.02.2020
555	ग–34	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	बड़का चुम्बा मंझला चुम्बा एवं अन्य दो पंचायतों को कुज्जु थाना में शामिल करना	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	07.03.2020
556	ग–40	सुश्री अम्बा प्रसाद,	अनुशंसा को कार्यान्वित करना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	16.03.2020
557	ग–35	श्री बंधु तिर्की,	कार्रवाई करना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	07.03.2020
558	ग–33	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	रामगढ़ जिलों के गांव को हजारीबाग जिला में स्थानान्तरण।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	07.03.2020
559	ग–28	श्री विनोद कुमार सिंह	स्वीकृति देना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन।	02.03.2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.
560	ग–37	श्री मथुरा प्रसाद महतो	सरकारी नौकरी एवं मुआवजा देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	13.03.2020
561	ग–13	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	मुआवजा देना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन।	23.02.2020
562	ग–38	श्री सोना राम सिन्कु,	पुलिस कैम्प को हटाना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	13.03.2020
563	ग–30	श्री मनीष जायसवाल,	यातायात पुलिस की व्यवस्था।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	05.03.2020
564	का–23	श्री दशरथ गागराई,	अधीक्षक का पदस्थापन	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	13.03.2020
565	ग–20	श्री मनीष जायसवाल,	सी0आई0डी से जाँच कराना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	29.02.2020
566	ग–39	श्री नवीन जयसवाल,	नुकसान का मुआवजा देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	16.03.2020
567	का–22	श्री अनन्त कुमार ओझा,	अनुसूचित जाति/ जनजाति का दर्जा दिलाना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	08.03.2020

राँची।
दिनांक–23 मार्च,2020 ई0।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–02/2020–1187/वि0स0,रांची,दिनांक– 18/3/20

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष,झारखण्ड विधान–सभा/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.03.2020
(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ0उ0

ज्ञाप संख्य–प्रश्न–02 / 2020– – 1187 / वि0स0,रांची,दिनांक– 18/3/20

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ एवं अपर सचिव प्रश्न तथा संयुक्त सचिव प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

17.03.2020

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–02 / 2020– 1187 / वि0स0,रांची,दिनांक– 18/3/20

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा, वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन को सूचनार्थ प्रेषित।

18/03/2020

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

19/03/20

राय/

श्री सुदेश कुमार महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–23.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–27 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिम् सिंहभूम जिले के गुदड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बुरूगुलीकेरा गाँव में बीते 19 जनवरी, 2020 को सात आदिवासियों की हत्या कर दी गई है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मारे गए सभी लोगों की उम्र 22 से 30 साल की थी जिन्हें सरकार द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	Jharkhand Victim Compensation Scheme-2012 (यथा संशोधित–2016) तथा राष्ट्रीय पारिवारिक हितलाभ योजना के अंतर्गत एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) चाईबासा द्वारा अपनी निधि से प्रत्येक पीड़ित परिवार को कुल रू0 95,000/– का भुगतान किया गया है। दिनांक–05.03.2020 को पुनः DLSA द्वारा प्रत्येक परिवार को एक–एक लाख रूपये प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है, जिसका भुगतान प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन, बच्चों को आवासीय विद्यालय में नामांकन एवं अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स०(04)–05/2020–1386/ राँची, दिनांक–21/03/2020ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–642, दिनांक–02.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय सदस्य, झारखंड विधान–सभा द्वारा दिनांक–23.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–21 का उत्तर सामग्री।

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिले के तमाड़ विधान–सभा क्षेत्र अंतर्गत बुण्डू में नवसृजित अनुमंडल भवन में कार्यों का निष्पादन हो सके।	:–	विधि विभाग के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि अबतक बुण्डू अनुमंडल में न्यायिक कार्यों के निष्पादन हेतु अनुमंडलीय भवन से अलग हटकर अनुमंडलीय न्यायालय भवन का निर्माण नहीं किया गया है।	:–	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। बुण्डू अनुमंडलीय न्यायालय का गठन ही प्रक्रियाधीन है। विदित हो कि डब्ल्यू0 पी0 (पी0आई0एल0) संख्या–3483/2019 में दिनांक–23.07.2014 को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में बुण्डू अनुमंडलीय न्यायालय के स्थापना हेतु न्यायालय भवन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं आदि के निर्माण के संबंध में कृत कार्रवाई प्रतिवेदन/अद्यतन वस्तुस्थिति प्रतिवेदन से अवगत कराने का अनुरोध विधि विभागीय पत्रांक–687 दिनांक–26.03.2015, पत्रांक–735 दिनांक–19.03.2018 एवं पत्रांक–376 दिनांक–16.03.2020 द्वारा भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची से किया गया है। अद्यावधि उत्तर अबतक कार्यालय को अप्राप्त है, जिसके अभाव में न्यायालय गठन की कार्रवाई लंबित है।
3.	क्या यह बात सही है कि अनुमंडलीय न्यायालय भवन के नहीं रहने पर अनुमंडलीय न्यायिक कार्यों के निष्पादन में कठिनाईयां हो रही है।	:–	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राँची जिले के बुण्डू में अनुमंडलीय भवन से अलग हटकर बुण्डू प्रखंड के अंतर्गत ही नये स्थान पर अनुमंडलीय न्यायिक भवन के निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	:–	कंडिका–2 के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है।

झारखंड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक–ए0/विधि–विसप्र–02/2020– 406/जे0 राँची, दिनांक–18 मार्च, 2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–886–वि0स0 दिनांक–07.03.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

18.3.2020

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–09 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स०	श्री बन्ना गुप्ता, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन प्रभाग
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला बिरनी प्रखण्ड गिद्याटांड में संतोष पासवान, गाण्डो में विजय वर्मा, बगोदर प्रखंड में बगोदरडीह में, शांति एवं मनोज यादव तथा डोरिया में 8 जानवरों की वज्रपात से एवं सुन्दरूटांड में सांप काटने से गालिया देवी की मौत हुई है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि घटना से छः माह कि उपरांत भी पीड़ित परिवारों को आपदा राहत के तहत् मुआवजा नहीं मिला है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पीड़ित परिवारों को तत्काल मुआवजा देने का विचार रखती है, हों तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वज्रपात से मृत स्व० संतोष पासवान की पत्नी सीता देवी एवं स्व० विजय वर्मा की पत्नी रीना देवी को अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति के पश्चात् भुगतान से संबंधित विपत्र कोषागार को भेज दिया गया है। वज्रपात से मृत शांति एवं मनोज यादव तथा 8 जानवरों से संबंधित मामले में जाँच–प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी। साँप काटने से गालिया देवी की हुई मौत से संबंधित आश्रित का आवेदन पत्र प्राप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07 / गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–05 / 2020–225 / आ०प्र०, दिनांक–20-03-2020

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड, राँची / अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची / विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/2020
(सुनील कुमार झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–07 / गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–05 / 2020–225 / आ०प्र०, दिनांक–20-03-2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–60 / वि०स०, दिनांक–20.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

19/3/2020
सरकार के अवर सचिव।

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–23.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–34 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बड़का चुम्बा, मंझला चुम्बा, मनुवा फुलसराय एवं वुमरी पंचायत रामगढ़ जिला के अंतर्गत आते हैं ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पंचायतों का वर्तमान प्रखण्ड डाड़ी थाना–गिद्दी, जिला–हजारीबाग है, जिसकी संख्या प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफी अधिक है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में वर्णित पंचायतों को रामगढ़ जिला अंतर्गत कुज्जू थाना में करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	1. रामगढ़ जिलान्तर्गत संबंधित पंचायतों को गिद्दी थाना से विमुक्त कर कुजू ओ०पी० के कार्यक्षेत्र से संबद्ध करने का प्रस्ताव की मांग पुलिस मुख्यालय एवं आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग से की गयी है। 2. सम्प्रति प्रस्ताव अप्राप्त है। स्मारित किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रतर कार्रवाई नियमानुसार की जायगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–13/2020– 1505 / राँची, दिनांक–21/03/2020ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–881, दिनांक–07.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–23.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–40 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कारा सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत कारा निरीक्षालय के अधीन प्रोबेशनल कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु झारखण्ड प्रोबेशन सेवा संवर्ग में प्रोबेशन मुख्यालय और क्षेत्रीय स्थापना हेतु गृह विभाग संलेख ज्ञापांक–3340, दिनांक–01.06.2015 के माध्यम से तीन पदनाम के कुल 22 पदों के सृजन के विचार हेतु अनुशंसा कि गई थी ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। विभाग द्वारा 22 पदों के सृजन का प्रस्ताव गठित किया गया था।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के अधिकांश जिलों में संचालित प्रोबेशन कार्यालय संबंधित जिलों के कारा परिसर में ही अवस्थित है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त अनुशंसा को कार्यान्वित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	1. यह प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष दिनांक–08.06.2015 को रखा गया था, परंतु विचारोपरांत समिति द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया। 2. निकट भविष्य में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष रखा जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–07/2020–1502/ राँची, दिनांक–21/03/2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1086, दिनांक–16.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\Questions (Budget) 20 doc P-40

श्री बंधु तिर्की, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–23.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–35 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सुनिला देवी, ग्राम–बजरा बड़का टोली, पोस्ट–हेहल, थाना–सुखदेवनगर, पण्डरा ओ०पी०, जिला–राँची निवासी के पति स्व० सामी मुण्डा की हत्या अज्ञात अपराधियों द्वारा दिनांक–15.12.2018 को कर दी गई, जिसका प्राथमिकी सं०–607/18 थाना–सुखदेवनगर (पण्डरा ओ०पी०) अनुमण्डल–सदर, जिला–राँची है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। दिनांक 02.12.2018 को समय 06:45 बजे से 07:14 के बीच तिरूपति बॉडी बिल्डर गैरेज के पास, ईंटकी रोड़ में सुनीला देवी के पति सामी मुण्डा को मोटरसाईकिल पर सवार दो अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा जानलेवा हमला कर गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। जिसके संदर्भ में सामी मुण्डा, पिता–स्व० मंगल मुण्डा के फर्दव्यान के आधार पर सुखदेवनगर (पण्डरा ओ०पी०) थाना में काण्ड सं०–607/18, दिनांक 02.12.18, धारा–307/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दो अज्ञात अपराधकर्मियों के विरूद्ध काण्ड पंजीकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.12.18 की संध्या सामी मुण्डा अपनी मारूती ओमनी भैन से घटनास्थल के पास जैसे ही पहुंचे कि दो युवक रास्ता पूछने के बहाने उन्हें रूकने का ईशारा कर बात करने लगे, तभी मोटरसाईकिल के पीछे बैठे युवक ने उनपर गोली चलायी जो उनके गर्दन के दाहिने तरफ लगी और उनकी मारूती भैन अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गयी। दोनों अपराधकर्मी घटना के बाद मोटरसाईकिल से फरार हो गये। घटना के बाद सामी मुण्डा को ईलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहाँ ईलाज के दौरान ही दिनांक 15.12.2018 को उनकी मृत्यु हो गई। पर्यवेक्षण के उपरांत यह कांड धारा–307/302/34/120 बी० भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अज्ञात के विरूद्ध सत्य पाया गया है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्व० सामी मुण्डा के हत्यारों की गिरफ्तारी कर नियम संगत कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कांड के अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्ता द्वारा घटनास्थल के आस पास के सी०सी०टी०वी० फुटेज का अवलोकन किया गया है। जिसमें दो व्यक्ति को मोटरसाईकिल पर सवार होकर भागते हुए देखा गया है, लेकिन न तो मोटरसाईकिल का नम्बर स्पष्ट हो पाया और न ही दोनों अपराधकर्मियों के चेहरे की पहचान स्थापित हो पायी है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अज्ञात दोनों व्यक्तियों का स्टिल फोटोग्राफ निकाल कर आस–पास के लोगों एवं विश्वसनीय गुप्तचर के माध्यम से भी पहचान स्थापित कराने का काफी प्रयास किया गया है। घटनास्थल से भागने की दिशा एवं मृतक के घर के आस–पास का Call Dump एवं मृतक के मोबाईल नम्बर का सी०डी०आर० प्राप्त कर अज्ञात अपराधकर्मियों की पहचान स्थापित करने का प्रयास किया गया है, परन्तु अबतक कोई लाभदायक सूत्र नहीं मिला है। कांड के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के दौरान मृतक की पत्नी सुनीला देवी द्वारा संदिग्ध 1. जागरण मुण्डा, 2. लाखो भगत, 3. खादू उराँव, 4. पंचू उराँव, 5. महेन्द्र गोप, 6. पारस गोप, 7. सभी मुण्डा, 8. रंजन कुमार, 9. मनु उराँव एवं 10. सुजित कुमार के नामों का उल्लेख किया गया है। इन सभी संदिग्धों की इस कांड में संलिप्तता के बिन्दु पर गहराई से अनुसंधान किया जा रहा है। साक्ष्य प्राप्त होते ही कांड में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कांड अनुसंधानांतर्गत है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स०(04)–10/2020–1385/ राँची, दिनांक–21/03/2020

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–880, दिनांक–07.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–23.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–33 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के पंचायत रबोघ, हुवाग, बलसगरा एवं होन्हेमोढ़ डाड़ी प्रखण्ड के अंतर्गत आते है जो वर्तमान में रामगढ़ जिला के माण्डू थाना में है ;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पंचायत बरोध, हुवाग, बलसगरा एवं होन्हेमोढ़ा को हजारीबाग जिला के डाड़ी प्रखण्ड अंतर्गत गिद्दी थाना में करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	1. फिलहाल इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। 2. यह प्रश्न प्राप्त होने के पश्चात् इस संबंध में प्रतिवेदन की माँग पुलिस मुख्यालय; आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग एवं उपायुक्त, हजारीबाग/रामगढ़ से की गयी है। वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रतर कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–12/2020–1499/ राँची, दिनांक–21/03/2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–882, दिनांक–07.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग–28 का उत्तर –

	प्रश्न		उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिला के बगोदर सरिया अनुमण्डल में अब तक फायर ब्रिगेड (अग्निशामक वाहन) की स्वीकृति नहीं मिली है ?		स्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि आगजनी व जी०टी० रोड में सड़क दुर्घटना से आगजनी में तत्काल राहत नहीं मिल पाता है।		आंशिक अस्वीकारात्मक। आगजनी एवं जी०टी० रोड में सड़क दुर्घटना से आगजनी में अग्निशामालय गिरिडीह के अग्निशमन दस्ता द्वारा राहत कार्य किया जाता है। वर्ष 2019 में एन० एच०–02 जी०टी० रोड में दिनांक 04.12.2019 को मात्र एक बार ट्रक में आग लगी थी, जिस पर अग्निशामालय गिरिडीह के अग्निशमन दस्ता द्वारा काबू पाया गया।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बगोदर–सरिया अनुमण्डल में अग्निशामक इकाई स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?		इस आशय का एक प्रस्ताव अग्निशाम सेवा मुख्यालय से विभाग में प्राप्त हुआ है जिसकी समीक्षा की जा रही है। समीक्षोपरांत औचित्य स्थापित होने पर प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकार के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–05 / वि०स०–07 / 02 / 2020– 1503 / राँची, दिनांक–21 / 03 / 2020 ई०.

प्रतिलिपि– 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झा० वि०स० को उनके पत्रांक–643, दिनांक–02.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/20
(अनिलसेन लकड़ा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–37 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत डेलकट्टा गाँव निवासी मोती लाल बास्की मधुवन (पारसनाथ) में डोली मजदूर था ।	अस्वीकारात्मक यह व्यक्ति नक्सली संगठन का सदस्य था।
02	क्या यह बात सही है कि दिनांक–7 जुलाई, 2017 को घर लौटने के क्रम में माओवादी समझकर CRPF द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गयी ।	अस्वीकारात्मक पुलिस/CRPF एवं नक्सली मुठभेड़ में नक्सली मोतीलाल बास्की की मृत्यु हुई थी।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त घटना की उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषी लोगों पर कार्रवाई करते हुए उसके परिवार को सरकारी नौकरी एवं उचित मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1. इस घटना के संदर्भ में गिरिडीह जिलान्तर्गत मधुवन थाना कांड संख्या–12/17, दि०– 09.06.2017 धारा–147/148/149/353/307/120बी० भा०द०वि० 25 (1–बी)ए०/26/27 आर्म्स एक्ट, 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम , 17 सी०एल०ए० एक्ट एवं 13 यू०ए०पी० एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, जिसका निष्पक्ष अनुसंधान महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1684, दिनांक–25.09.2017 के आलोक में अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा किया जा रहा है। कांड अनुसंधानान्तर्गत है। 2. विभागीय संकल्प संख्या–423, दि०–16.02.2006 एवं 2598, दि०– 09.06.2011 के प्रावधानों के तहत मृतक के उग्रवादी (अपराधिक इतिहास) रहने के कारण उसके आश्रित को अनुग्रह अनुदान एवं अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति अनुमान्य नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०(02)–04/2020 1498 / ..../राँची, दिनांक–21/03/2020

प्रतिलिपिः– अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के ज्ञापांक–1024 दिनांक 13.03.2020 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/20
(अनिलसन लकड़ा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\Destop\PINTU WORKS\लेटर\विधानसभा लेटर.docx

श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–13 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स०वि०स०	श्री बन्ना गुप्ता, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन प्रभाग
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत पूर्वी टुण्डी प्रखण्ड के लटानी आदिवासी टोला निवासी सुखलाल मुर्मू पिता–स्व० लक्ष्मण मुर्मू का निधन दिनांक–19.07.17 को वज्रपात से हो गया था;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि आकस्मिक वज्रपात से निधन पर सरकार द्वारा उसके परिवार को मुआवजा देने का प्रावधान है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मृतक के परिवार को मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय संकल्प संख्या–1055, दिनांक–11.09.2015 द्वारा वज्रपात को झारखण्ड राज्य की स्थानीय प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। दिनांक–11.09.2015 के बाद वज्रपात से मृत्यु होने पर ही मुआवजा की राशि अनुमान्य होगी। उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक–1566/रा० दिनांक–04.03.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धनबाद जिलान्तर्गत टुण्डी प्रखण्ड के लटानी आदिवासी टोला निवासी सुखलाल मुर्मू की मृत्यु वज्रपात के कारण दिनांक–19.07.2009 को हुई है। ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन मृतक के परिवार को राज्य आपदा मोचन निधि से मुआवजा अनुमान्य नहीं है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–04/2020–204../आ०प्र०, दिनांक– 16/03/2020

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/2020
(सुनील कुमार झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–07/गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–04/2020–204../आ०प्र०, दिनांक– 16/03/2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–193दिनांक–23.02.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

13/3/2020
सरकार के अवर सचिव।

श्री सोनाराम सिंकु, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–23.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–म–38 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत गोइल केरा प्रखण्ड के कुईड़ा पंचायत में स्थित मौजा–कुईड़ा हाई स्कूल परिसर में झारखण्ड विधान सभा चुनाव, 2019 के समय से आई०आर०बी० (इण्डिया रिजर्व बटालियन) का कैम्प स्थापित है ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कैम्प हाई स्कूल परिसर में स्थापित होने की वजह से सैकड़ों बच्चों के पठन–पाठन बाधित हो रहा है ;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि कैम्प को स्कूल परिसर से अन्यत्र हस्तांतरित करने के लिए इलाके के ग्रामीण जनता संघर्षरत हैं ;	पिकेट को हटाने के लिए ग्रामीणों द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त कैम्प को अविलम्ब हटाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	यह पुलिस पिकेट विद्यालय भवन में स्थापित नही किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित भूमि पर टेन्ट लगाकर पिकेट की स्थापना की गई है। इससे विद्यालय का पठन पाठन प्रभावित नही हो रहा है। नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण हेतु इस पिकेट का वहाँ बना रहना जरूरी है, अतः इसे हटाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–14/2020–1506/ राँची, दिनांक–21/03/2020ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1025, दिनांक–13.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री सोनाराम सिंकु, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–23.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–38 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत गोइल केरा प्रखण्ड के कुईड़ा पंचायत में स्थित मौजा–कुईड़ा हाई स्कूल परिसर में झारखण्ड विधान सभा चुनाव, 2019 के समय से आई०आर०बी० (इण्डिया रिजर्व बटालियन) का कैम्प स्थापित है ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कैम्प हाई स्कूल परिसर में स्थापित होने की वजह से सैकड़ों बच्चों के पठन–पाठन बाधित हो रहा है ;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि कैम्प को स्कूल परिसर से अन्यत्र हस्तांतरित करने के लिए इलाके के ग्रामीण जनता संघर्षरत हैं ;	पिकेट को हटाने के लिए ग्रामीणों द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त कैम्प को अविलम्ब हटाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	यह पुलिस पिकेट विद्यालय भवन में स्थापित नही किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित भूमि पर टेन्ट लगाकर पिकेट की स्थापना की गई है। इससे विद्यालय का पठन पाठन प्रभावित नही हो रहा है। नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण हेतु इस पिकेट का वहाँ बना रहना जरूरी है, अतः इसे हटाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–14/2020–1506/ राँची, दिनांक–21/03/2020।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1025, दिनांक–13.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक-23.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या-ग-30 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल का मुख्यालय हजारीबाग में अवस्थित है जहाँ इन दिनों अनेकों शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ चिकित्सा महाविद्यालय के खुलने के कारण लोगों के आवागमन में अत्यधिक वृद्धि हुई है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड-(01) में वर्णित क्षेत्र में सिग्नल लाईट के साथ-साथ यातायात पुलिस की कोई निर्धारित व्यवस्था नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को यातायात में बाधा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्णित क्षेत्र में सिग्नल लाईट की व्यवस्था नहीं है। किन्तु यातायात पुलिस की समुचित व्यवस्था इन क्षेत्रों में है, जिनके द्वारा यातायात व्यवस्था सुगम रखा जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड-01 में वर्णित क्षेत्र के चौक-चौराहों पर सिग्नल लाईट के साथ-साथ यातायात पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	1. वर्णित क्षेत्र के चौक-चौराहों पर यातायात पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय को निदेशित किया गया है। 2. जहाँ तक सिग्नल लाईट की व्यवस्था करने का प्रश्न है, इसकी **Technical feasibility** का अध्ययन करवाकर आगामी वित्तीय वर्षों में निधि की उपलब्धता के आधार पर कार्यान्वयन कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक-12/वि०स०-02/2020-1497/ राँची, दिनांक-21/03/2020ई०।

प्रतिलिपि-200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक-772, दिनांक-05.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री दशरथ गागराई, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या का०–23 का प्रश्नोत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत कोल्हान, पोड़ाहाट क्षेत्र में कोल्हान अधीक्षक के सृजित पद पर श्री गिरिजानन्द किस्कू प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं।	स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रभारी के रूप में कार्य करने से जिले के कई महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करने में कठिनाई हो रही है।	अस्वीकारात्मक । उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों का निष्पादन समय सीमा के अन्दर किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जनहित में श्री गिरिजानन्द किस्कू को कोल्हान अधीक्षक के पद पर स्थायी रूप से पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कोल्हान अधीक्षक का पद झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में सृजित है। श्री गिरिजानन्द किस्कू, झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी हैं। अतः कोल्हान अधीक्षक के उच्चतर पद पर श्री किस्कू के स्थायी पदस्थापन किये जाने में कठिनाई है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 3/विधानसभा–05–02/2020 का. 2109/ राँची, दिनांक 20 मार्च, 2020

प्रतिलिपि – सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0– 1026 वि.स. दिनांक 13.03.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/20

(अनिल कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–ग–20, दिनांक–23.03.2020 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि दिनांक–14.09.2018 के संध्या समय 05:00 बजे हजारीबाग जिलान्तर्गत बड़कागांव रोड़ में श्रीमती नगीना देवी के पति स्व० शंभू प्रसाद राणा की हत्या गोली मारकर कर दी गयी थी।	स्वीकारात्मक
02	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित घटना के 18 माह बीतने के बावजूद अबतक उक्त घटना में शामिल अपराधियों की न तो गिरफ्तारी हुई है न ही उक्त घटना का पर्दाफाश हो पाई है, जिससे पीड़ित परिवार काफी आहत में है।	स्वीकारात्मक
03	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित घटना में किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से उक्त जिला में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है।	अस्वीकारात्मक
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पीड़ित परिवार के हित में खण्ड–1 में वर्णित घटना की सी०आई०डी० जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कांड अनुसंधानान्तर्गत है। इस कांड की जाँच अपराध अनुसंधान विभाग से कराने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–701/2020............/1500/राँची, दिनांक–21/03/2020

प्रतिलिपिः– अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के ज्ञापांक–522 दिनांक 29.02.2020 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अनिलसन लकड़ा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\Desktop\PINTU WORK\लेटर\विधानसभा लेटर.docx

श्री नवीन जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–39 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री नवीन जायसवाल, माननीय स०वि०स०	श्री बन्ना गुप्ता, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन प्रभाग
1. क्या यह बात सही है, कि पिछले दिनों भारी वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण हटिया विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत नगड़ी, हरही, नारो, देवरा, साहेर, बिपरा एवं ऐडवेरो पंचायत के अनेकों क्षेत्रों के खेतों में तैयार नगदी फसल पुरी तरह से नष्ट हो गये है, जिस कारण यहाँ के किसानों को काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों के आर्थिक नुकसान का मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राँची जिला के सभी अंचलों में फसल क्षति से संबंधित आकलन कराया जा रहा है। तत्संबंधी अधियाचना प्राप्त होते ही मुआवजा राशि आवंटित कर दी जाएगी।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07 / गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–09 / 2020-226 / आ०प्र०, दिनांक–20-03-2020

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड, राँची / अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची / विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/2020
(सुनील कुमार झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–07 / गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–09 / 2020-226 / आ०प्र०, दिनांक–20-03-2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1085 / वि०स०, दिनांक–16.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

19/3/2020
सरकार के अवर सचिव।

*567. श्री अनन्त कुमार ओझा--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में निवास कर रहे चाँय (विशेषकर साहेबगंज) जाति (निषाद के उपजाति) के लोग आज भी प्रमुख रूप से कृषि एवं मत्सय पालन पर निर्भर है, जो वर्तमान में अत्यन्त पिछड़ी जाति वर्ग में आते है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित जाति वर्षों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने की माँग करते आ रहे है;

(3) क्या यह बात सही है कि रामदयाल मुण्डा जनजातीय शोध संस्थान, झारखण्ड, राँची द्वारा खण्ड (01) में वर्णित जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने हेतु एक विस्तृत शोध प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार खण्ड (01) में वर्णित जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने हेतु अविलम्ब केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) स्वीकारात्मक । डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से चाँय (केवट, मल्लाह इत्यादि) जाति के सम्बन्ध में डॉ० वाल्टर बेक के द्वारा समर्पित Ethnographic Study की प्रति प्राप्त है, जिस पर संस्थान का मंतव्य अंकित नहीं है । अपने मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से किया गया है, जो अभी प्राप्त नहीं है ।

(4) उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।